रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

GENERAL &... LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 31, 1994/आश्विन 9, 1916
No. 552] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 31, 1994/ASVINA 9, 1916

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1994

का.आ. 784 (अ).—राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 4(4) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अनुसरण में, भारत सरकार एतद्द्वारा श्रीमती गंगा पोटई (ठाकुर) को राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में नामित करती है। वह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए इस पद पर रहेंगी।

[फा.सं. 9-3/94-म.क.]
एस.के. गुहा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Women & Child Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1994

S.O. 784(E).—In pursuance of clause (b) of sub-section (2) of section 3 read with section 4(4) of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990) the Government of India hereby nominates Shrimati Ganga Potai (Thakur) as Member of the National Commission for Women. She will hold office for a period of three years from the date on which she assumes charge

[F. No. 9-3|94-WW]
S. K. GUHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994